प्रेषक

निदेशक,
राज्य परिवहन, हरियाणा,
चंडीगढ।

सेवा मे

अतिरिक्त, मुख्य सचिव,
हरियाणा सरकार, वित्त विभाग।

क्रमांक /ए2/ई3 दिनांक

विषयः– **परिवहन विभाग के बेड़े में नई बसें शामिल किए जाने उपरांत परिचालकों की कमी के मध्यनजर 1190 परिचालक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्ती किए जाने के संबंध में।**

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1658/ए2/ई3 दिनांक 17.03.2023 के संदर्भ में तथा प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग द्वारा एकल मिसल सीएफएमएस नं0 24469 दिनांक 24.02.2023 के संदर्भ में।

संदर्भित मिसल द्वारा आपको अवगत करवाया जाता है कि विभाग में दिनांक 31.01.2023 को किलोमीटर की बसों सहित कुल 3095 बसें उपलब्ध थी। सरकार द्वारा 809 बसो की खरीद के साथ–साथ 1000 पूर्णतया निर्मित साधारण बसों की खरीद की गई है जिसमें से 1000 से अधिक बसे बेडे मे आ चुकी हैं और दिनांक 23.06.2023 तक लगभग 1600 बसे विभाग के बेडे मे शामिल होने की सभावना है। इस तरह विभाग का बेडा लगभग 4182 बसों का हो जाएगा। यह भी अवगत करवाया जाता है कि विभाग का स्वीकृत बेडा सरकार/वित्त विभाग द्वारा 4500 बसो से बढाकर 5300 बसो का कर दिया गया है। विभाग मे चालक परिचालको के पद बस बेडे के आधार पर 1:1.4 के नॉर्म पर स्वीकृत किए गए हैं। विभाग के 4500 बसों के स्वीकृत बेडे के आधार पर वित्त विभाग द्वारा ई–पोस्ट शैंक्सनिंग पोर्टल पर परिचालको के 6873 पद स्वीकृत हैं (प्रति संलग्न)। विभाग द्वारा दिनांक 23.06.2023 तक शामिल की जाने वाली बसों के आधार पर 6605 परिचालकों माग की गणना की गई थी और इन पदों के विरूद्ध वर्तमान में 5441 परिचालक उपलब्ध हैं और शेष 1164+26 सेवानिवृत्त होने वाले परिचालकों को शामिल करते हुए कुल 1190 परिचालक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाने के लिए मिसल वित्त विभाग को प्रेषित की गई थी। आपके पत्र क्रमांक 12/24/2022–3एसएस दिनाक 06.04.2023 द्वारा कई अन्य विभागो से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबध आधार पर सरकार की नीति के पार्ट–2 के अंतर्गत लगाए गए कर्मचारियो की सूचना मागी गई है, जो कि सभी महाप्रबंधको से माग ली गई है और प्राप्त होने उपरात आपको प्रेषित कर दी जाएगी।

जहां तक परिवहन विभाग में परिचालक उपलब्ध करवाए जाने का प्रश्न है इस संबध मे अवगत करवाया जाता है कि विभाग मे नई बसें आ जाने के कारण परिचालकों की कमी के कारण बसों का संचालन नहीं हो पा रहा है और नई बसें खडी रहने के कारण भविष्य मे ऑडिट द्वारा आपत्ति लगाई

जा सकती है। विभाग के स्वीकृत बेड़े के आधार पर वित्त विभाग द्वारा ई– पोस्ट शैंक्शनिंग पोर्टल पर परिचालकों के 6873 पद स्वीकृत हैं (प्रति संलग्न)। वर्तमान में विभाग के पास केवल 5441 परिचालक उपलब्ध है। इस तरह विभाग में तय मानक से 1432 परिचालक कम हैं इसके अतिरिक्त 26 परिचालक इस वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। विभाग द्वारा दिनांक 23.06.2023 तक बस बेडे में शामिल बसों पर तय मानको के आधार पर कुल 6605 परिचालक की गणना की गई है और इस तरह कुल 1190 परिचालक (6605–5441+26) हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उपलब्ध करवाने के लिए अनुरोध किया गया है। इसलिए आपसे पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए 1190 परिचालक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से उपलब्ध करवाने की स्वीकृति अति शीघ्र देने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्त

Sd/-

कृतेः निदेशक, राज्य परिवहन,
हरियाणा, चण्डीगढ।

पृ0कमांकः– 2097-98 /ए2/ई3 दिनांकः 10-4-2023

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार परिवहन विभाग।
2. अधीक्षक, सेवा क्षेत्र, वित्त विभाग हरियाणा।

Renu 2023

कृतेः निदेशक, राज्य परिवहन,
हरियाणा, चण्डीगढ।